

अध्याय 1

प्रस्तावना

1.1 पृष्ठ भूमि

ऊर्जा हमारे समाज और उद्योगों को चलाती है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों और समाज के सभी वर्गों में निहित राष्ट्र का विकास अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को समुचित रूप से पूरा करने पर निर्भर है। तेल और गैस हमारे ऊर्जा भंडार के महत्वपूर्ण कारक हैं और निकट भविष्य में जब तक कोई ऊर्जा का कोई नवीकरणीय रूप व्यवहार्य नहीं हो जाता तब तक हमारे देश की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते रहेंगे।

ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) एक राष्ट्रीय तेल कंपनी (एनओसी) कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, विकास और उत्पादन, कच्चे तेल के परिवहन तथा लिक्विड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के उत्पादन में लगे हैं। ओआईएल असम में नहरकटिया के तेल क्षेत्रों को प्रबंधित करने के लिए एक तिहाई हिस्सेदारी के साथ भारत सरकार (जीआई) और दो तिहाई हिस्सेदारी के साथ बर्मा ऑयल कंपनी, यूनाईटेड किंगडम (बीओसी) के बीच सहभागिता उद्यम (अर्थात आयल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड) के रूप में 18 फरवरी 1959 को गठित की गई थी। 14 अक्टूबर 1981 को ओआईएल बीओसी की इक्विटी को समाप्त करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (एमओपीएनजी) के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रक के अंतर्गत संपूर्ण रूप से स्वामित्व वाली सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के रूप में भारत सरकार उद्यम बन गई। अन्वेषण प्रयासों को बढ़ाने के लिए अपने कर्मचारियों को शेयर जारी करने के साथ-साथ बड़े स्तर पर जनमानस में संसाधनों के संवर्धन के लिए इसको सक्षम करने के लिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल दिया गया (अगस्त 1995)। ओआईएल केंद्र सरकार द्वारा 78.43 प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा 21.57 प्रतिशत हिस्सा रखते हुए सितम्बर 2009 में सूचीबद्ध की गई। ओआईएल ने अप्रैल 2010 में 'नवरत्न स्थान' प्राप्त किया।

ओआईएल के मुख्य उद्देश्यों¹ में से एक अन्वेषण करना और ऐसी गतिविधियों को शुरू करने, प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने के लिए रिजर्व या पेट्रोलियम का अनुमान और संभावना के

¹ स्रोत: ओआईएल के संस्थाओं के जापन और अनुच्छेद

लिए तटवर्ती और अपतटीय दोनों तथा अन्य संभावित प्रचालनों के लिए ड्रिलिंग करने के लिए पेट्रोलियम संसाधनों के अन्वेषण के लिए भूगर्भीय, भू-भौतिकीय या अन्य प्रकार के सर्वेक्षण द्वारा हाईड्रोकार्बन का उत्पादन विकसित करना/बढ़ाना है ताकि भूगर्भीय, भूवैज्ञानिक, भूरासायनिक, वैज्ञानिक और अन्य जांच सीमित न रखते हुए ऐसे रिज़र्वों की स्थापना की जा सके।

ओआईएल के प्रचालन हाईड्रोकार्बन क्षेत्र की अपस्ट्रीम गतिविधियों के सारे पहलूओं जिसमें भूगर्भीय सर्वेक्षण, तेल क्षेत्रों का अन्वेषण और विकास, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन एलपीजी का प्राकृतिक गैस में परिवर्तन कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के परिवहन ओआईएल शामिल हैं। ओआईएल के प्रचालनों पर पांच स्थानों जैसे दुलियाजन (असम), जोधपुर (राजस्थान), काकीनाडा (आंध्र प्रदेश), गुवाहाटी (असम) और नोयडा (उत्तर प्रदेश) से निगरानी रखी जाती है।

ओआईएल का सारा कच्चा तेल उत्पाद असम और अरुणाचल प्रदेश में स्थित क्षेत्रों से आता है जबकि, गैस का उत्पाद असम, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान क्षेत्र से आता है। ओआईएल दुलियाजन, असम पर अपने एलपीजी बोटलिंग संयंत्र में एलपीजी उत्पादित करती है।

1.2 हाईड्रोकार्बन अन्वेषण और उत्पादन

हाईड्रोकार्बन की संवृद्धि किसी भी अपस्ट्रीम तेल और गैस कंपनी का लक्ष्य है। हाईड्रोकार्बन को निकालने की प्रक्रिया में प्रथम चरण अन्वेषण - भूमि के सतह के नीचे तेल और गैस के लिए खोज है। ऐसे भंडार तटवर्ती या अपतटीय हो सकते थे। अन्वेषण की प्रक्रिया में तालिका 1.1 में मुख्य गतिविधियां दी गई हैं:

तालिका 1.1. अन्वेषण के चरण


गतिविधियों के प्रकार	अन्वेषण के चरण	रिपोर्ट की अध्याय सं. का संदर्भ
प्राथमिक सर्वेक्षण - सतही और उप-सतही सर्वेक्षण	सतही सर्वेक्षण सतह संगठनों और विशेषताओं एरियल फोटोग्राफी, सेटेलाईट इमेजिंग, इमेजिंग राडार और टोपो ग्राफिकल और भूवैज्ञानिक मैपिंग जिनसे उप-सतही संगठनों के संबंध में सामान्य: अनुमान लगाये जाते हैं: का अध्ययन और मूल्यांकन है। उप-सतही सर्वेक्षण गुरुत्वाकर्षण शक्ति, चूबंकीय क्षेत्र की जिसमें विशेषताएं निर्धारित करने के लिए डाटा का संचयन शामिल होते हैं, और भुगर्भीय मीटरों, चूबंकीय	अध्याय-4

	मीटरों और सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हुए उप-सतही पत्थरों की सांड वेव की प्रतिक्रिया भूगर्भीय रचनाओं का अध्ययन और मूल्यांकन है। भूकंपीय अध्ययन (2डी, 3डी) को अधिकतर उपयोग किया जाता है और उप-सतही परीक्षण की महत्वपूर्ण प्रकार है।	
भूकंपीय सर्वेक्षण	भूकंपीय सर्वेक्षण हाइड्रोकार्बन रिजर्वायर के स्वरूप की पहचान करने और स्थिति की संभावना के लिए किया जाता है। इसमें सामान्यतः पहचान, प्रक्रिया और व्याख्या (एपीआई) के रूप में जाने जानी वाली उच्च संभावना के साथ स्वरूप की पहचान करने के लिए भू-वैज्ञानिकों द्वारा भूकंपीय डाटा, प्रक्रिया और व्याख्या शामिल होती है। एपीआई के संबंध में लिया गया समय ब्लॉक के क्षेत्र, भूकंपीय डाटा के घनत्व, ब्लॉक में उपलब्ध कुओं की संख्या, संभावनाओं की संख्या, संभावनाओं की प्रकार, उपलब्धता डाटा की विशिष्टता और गुणवत्ता, अतिरिक्त डाटा के लिए आवश्यकता और डाटा का प्रकार और सर्वेक्षण दल के आकार पर आधारित होता है।	अध्याय-4
अन्वेषणात्मक कुओं और अंवेषी मूल्यांकन कुओं	सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर किसी भूगर्भीय सत्त्व पर अज्ञात हाइड्रोकार्बन संचयन का पता लगाने के लिए अन्वेषणात्मक कुएँ ड्रिल किए जाते हैं। तेल या गैस या अन्य मौजूदगी की संभावना के पश्चात उसका पता लगाने के लिए एक अप्रमाणित क्षेत्र की पहचान करके कुएँ ड्रिल किये जाते हैं। हाइड्रोकार्बन रिजर्व के अछूते क्षेत्रों को जोड़ने के लिए अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग महत्वपूर्ण है। अन्वेषणात्मक मूल्यांकन कुएँ पुनः प्राप्तियोग्य तेल/गैस रिजर्व के सटीक निर्धारण के उद्देश्य से रिजर्वायर के सीमाक्षेत्र का अनुमान लगाने के लिए अंवेषी कुओं के आस-पास ड्रिल किए जाते हैं।	अध्याय-5
विकास कुओं	ड्रिलिंग स्थल का चयन करने हेतु पर्याप्त अन्वेषणात्मक सूचना के साथ एक जलाशय मॉडल प्रदान करने के बाद विकास ड्रिलिंग शुरू होता है। विकास कुएँ एक स्थापित क्षेत्र से हाइड्रोकार्बन के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से ड्रिल किए जाते हैं।	अध्याय-5
वाणिज्यिक खोज/ मुद्रीकरण	यह एमओपीएनजी के प्रतिनिधियों, हाइड्रोकार्बन के महानिदेशक (डीजीएच) और स्थानीय प्रबंधन द्वारा	

	पूर्णतः अनुमोदित अपस्ट्रीम तेल कंपनियों द्वारा की गई तथा मुद्रीकरण के माध्यम से खोजे गए हाइड्रोकार्बन रिजर्व की वाणिज्यिक व्यावहारिकता के संबंध में स्वीकार की गई घोषणा है।	अध्याय-3
--	---	----------

हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं उत्पादन (ईएण्डपी) प्रचालन, की अपस्ट्रीम प्रचालनों के रूप में भी निर्दिष्ट निम्नलिखित चरणों में व्याख्या की गई है जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है:

चित्र: 1.1 अन्वेषण के चरण



वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में, लेखापरीक्षा ने ओआईएल के हाइड्रोकार्बन अन्वेषण प्रयासों का अनुमान लगाने के लिए ओआईएल के उपरोक्त प्रथम दो चरणों (अर्थात् अन्वेषण एवं विकास प्रचालन) की समीक्षा की।

1.3 हाइड्रोकार्बन अन्वेषण हेतु संगठनात्मक ढाँचा

एमओपीएनजी तेल एवं गैस का अन्वेषण और उत्पादन, शोधन, वितरण और पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन, आयात, निर्यात और संरक्षण करती है। इसके अलावा, एमओपीएनजी नीतियाँ, नियम एवं विनियम बनाती है जिनसे तेल एवं गैस क्षेत्र में अन्वेषण और उत्पादन प्रचालन शासित होते हैं।

एमओपीएनजी के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक नोडल एजेंसी डीजीएच - भारतीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संसाधानों का ठोस प्रबंधन और देश में हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण और अधिकतम अन्वेषण से संबंधित मुद्दों पर एमओपीएनजी को सलाह देने के लिए 8 अप्रैल 1993 को स्थापित किया गया था। एमओपीएनजी, डीजीएच और ओआईएल के बीच संबंध दर्शाने वाला संगठनात्मक ढाँचा चित्र 1.2 में दर्शाया गया है:

चित्र:1.2 संगठनात्मक ढाँचा



तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) और ओआईएल, दो एनओसी हैं जो हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण एवं उत्पादन (ईएण्डपी) से संबंधित गतिविधियों में संलग्न हैं। एमओपीएनजी, डीजीएच की सहायता से तेल क्षेत्र (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 1948 और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के प्रावधानों के तहत तेल एवं अन्य ईएण्डपी कंपनियों का हाइड्रोकार्बन अन्वेषण विनियमित करता है। एमओपीएनजी अपतटीय क्षेत्रों के लिए एनओसी और निजी प्रचालकों को लाइसेंस जारी करने के लिए भी उत्तरदायी है और संबंधित राज्य सरकारें एमओपीएनजी की सिफारिश पर तटीय ईएण्डपी गतिविधियों हेतु लाइसेंस जारी करती हैं।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियमावली, 2003 के अनुसार इन नियमों के तहत दिए गए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (जिसे बाद में लाइसेंस माना गया) के अनुसरण को छोड़कर पेट्रोलियम के लिए किसी भी व्यक्ति को अवसर नहीं दिया जाएगा और इन नियमों के तहत मंजूर किए गए पेट्रोलियम खनन पट्टा (जिसे बाद में लाइसेंस माना गया) के अनुसरण के अलावा कोई भी व्यक्ति पेट्रोल की निकासी नहीं कर सकेगा। इन नियमों में प्रत्येक लाइसेंस धारक और प्रत्येक पट्टाधारक क्रमशः लाइसेंस धारक और पट्टाधारक माना जाएगा।

अन्वेषण गतिविधियाँ करने हेतु ठेकेदारों को केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ तटीय ब्लाकों के संबंध में संबंधित राज्य सरकार से और अपतटीय ब्लॉकों के मामले में केंद्र सरकार से, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के प्रावधानों के तहत पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल²) लेना पड़ता है। हाइड्रोकार्बन की खोज के पश्चात् पीईएल क्षेत्र पेट्रोलियम खनन पट्टा (पीएमएल³) क्षेत्र में बदल जाता है। पेट्रोलियम निकालने हेतु ठेकेदार को केंद्र/राज्य सरकार से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियमावली 1959 के प्रावधानों के तहत खनन पट्टा लेना पड़ता है।

केंद्र सरकार यदि उचित समझे, तो समय-समय पर उस आधार से संबंधित विवरण सरकारी राजपत्र में अधिसूचित कर सकती है जिस पर केंद्र सरकार किसी विशेष क्षेत्र या क्षेत्रों में खनन प्रचालनों या संभावनाओं हेतु प्रस्तावों पर विचार करने को तैयार हो। लाइसेंस द्वारा शामिल क्षेत्र इसमें विनिर्दिष्ट किया जाएगा और लाइसेंस की अवधि पहली बार में चार वर्षों की अवधि के लिए वैध होगी जिसे एक-एक वर्ष करके दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति⁴ (एनईएलपी) 1997 में भारत सरकार (जीओआई) द्वारा हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण एवं उत्पादन में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों कंपनियों को समान कार्यस्तर प्रदान करने हेतु बनाई गई थी। एनईएलपी फरवरी 1999 से प्रभावी हुआ। तब से अन्वेषण हेतु लाइसेंस केवल प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रणाली के माध्यम से ही दिए जा रहे हैं। एनईएलपी के तहत, एनओसी को पीईएल सुरक्षित करने के लिए भारतीय और विदेशी कंपनियों के साथ बराबर आधार पर प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। 31 मार्च 2014 तक, भारत सरकार ने गहरे पानी, छिछले पानी और तटीय श्रेणी के विभिन्न बेसिन⁵ में अन्वेषणात्मक ब्लॉकों हेतु बोली के लिए कंपनियों को आमंत्रित करते हुए 1999 और 2010 के बीच नौ आवर्तनों की घोषणा की।

² अन्वेषण गतिविधियाँ करने हेतु ठेकेदारों को केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ तटीय ब्लाकों के संबंध में संबंधित राज्य सरकार से और अपतटीय ब्लॉकों के मामले में केंद्र सरकार से, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के प्रावधानों के तहत पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल) लेना पड़ता है।

³ पेट्रोलियम निकालने हेतु ठेकेदार को केंद्र/राज्य सरकार से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियम 1959 के प्रावधानों के तहत खनन पट्टा लेना पड़ता है।

⁴ 1997 में एनईएलपी की शुरुआत के साथ एमओपीएनजी ने एनओसी और निजी क्षेत्र की कंपनियों को प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से अन्वेषण ब्लॉक दिए और उन्हें एनईएलपी ब्लॉक के रूप में जाना जाता है।

⁵ भू-पर्फटी में हास जहां तलछटी पदार्थ कई वर्षों से एकत्र होते हैं।

देश की आर्थिक वृद्धि में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए और एक दीर्घावधि नीति बनाने अर्थात् हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में 2025 तक भारतीय तलछट बेसिनों से 100 प्रतिशत अन्वेषण हेतु एमओपीएनजी ने मार्च 2000 में हाइड्रोकार्बन विज़न - 2025 बनाया। विज़न में ऊर्जा सुरक्षा, वैकल्पिक ईंधनों का प्रयोग, तकनीकी की अंतर-परिवर्तनीयता को शामिल किया गया जो यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है कि अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त ऊर्जा स्रोतों का मिश्रण अधिकतम और सतत है तथा भारतीय ग्राहकों को सस्ते मूल्य पर साफ और हरित ईंधन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराई जा सके। अन्य बातों के साथ-साथ विज़न का उद्देश्य है:

- हाइड्रोकार्बन क्षमता के दोहन हेतु भारतीय तलछट बेसिन का सम्पूर्ण मूल्यांकन करना तथा सर्वाधिक दक्ष तरीके से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का अधिकतम उत्पादन करना ताकि आरक्षित प्रतिस्थापन अनुपात (आरआरआर) 1 से अधिक रहे।
- तकनीकी उन्नयन और अनुप्रयोग की गति बनाए रखना तथा वैश्विक अन्वेषण और उत्पादन जगत में तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी रहना।
- जहां तक सम्भव हो पर्यावरण पर बिल्कुल भी प्रभाव न पड़ने देना या न के बराबर प्रभाव।

ओआईएल ने अपने लिए नीतिगत एवं निगम योजना बनाने के लिए एक आंतरिक बहु अनुशासनिक कार्यबल का गठन किया (नवम्बर 2009)। इसी प्रकार ओआईएल ने एक ड्राफ्ट नीतिगत एवं निगम योजना 2011-2020 तैयार किया था जिस पर मार्च 2012 में आयोजित नीतिगत बैठक में चर्चा की गई थी। हालांकि उक्त योजना अनुमोदन हेतु बोर्ड को नहीं प्रस्तुत की गई।

ओआईएल की ड्राफ्ट नीतिगत और निगम योजना 2011-2020 में हाइड्रोकार्बन विज़न 2025 को ध्यान में रखा गया जैसा कि तालिका 1.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.2 - हाइड्रोकार्बन विज़न 2025 की तुलना में ओआईएल की ड्राफ्ट नीतिगत और निगम योजना 2011-2020

हाइड्रोकार्बन विज़न 2025	ओआईएल की ड्राफ्ट नीतिगत और निगम योजना 2011-2020
स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि के माध्यम से आत्म निर्भरता प्राप्त करके ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना।	परिणाम में सुधार करके एनई परिसम्पत्तियों से उत्पादन और रिजर्व में वृद्धि एवं अनुरक्षण और इस प्रकार एनई परिसम्पत्तियों की क्षमता का दोहन करके तेल की लाभकारिता में वृद्धि करना।
हाइड्रोकार्बन क्षमता के दोहन हेतु भारतीय तलछट बेसिन का सम्पूर्ण मूल्यांकन करना तथा सर्वाधिक बेसिन का क्षेत्रों भू-प्रतिरूपण और अन्वेषण, असम - अरकन बेसिन का क्षेत्रीय बेसिन	महत्वपूर्ण

दक्ष तरीके से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का अधिकतम उत्पादन करना ताकि आरक्षित प्रतिस्थापन अनुपात (आरआरआर) 1 से अधिक रहे।	प्रतिरूपण करना। स्ट्रैटीग्रैफिक/संयोजन रिजर्व का अन्वेषण। परिपक्व क्षेत्र में अजैर चारों ओर इकोसीन्स का अन्वेषण।
विदेशों में तेल इकिवटी में निवेश के माध्यम से आत्म निर्भरता प्राप्त करके ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना।	विदेशों में अजैविक वृद्धि संभावनायें तलाशना
खोजे गए/परिपक्व क्षेत्रों से अधिकतम निकासी	सभी क्षेत्रों के लिए गतिमान प्रतिरूप का निर्माण करना और क्षेत्रीय पुनर्विकास योजना/विकास योजना बनाना। मौजूदा तेल एवं गैस क्षेत्रों का जलाशय-वार प्रेषणता स्थापित करना। पूर्वी और पश्चिमी सुदूर क्षेत्रों को फिर से देखना। जोरहान-जयपुर क्षेत्र को अधिकतम अनुकूल बनाना।
स्वदेशी आरएण्डडी के विकास के साथ-साथ निरंतर तकनीकी अधिग्रहण एवं अवशोषण	जलाशय मॉनीटरिंग हेतु 4-डी सिस्टम। आईओआर/ईओआर पद्धतियाँ और जल धारा प्रवाह लागू करना तथा निकासी कारक (आरएफ) को 45 प्रतिशत तक लाना। प्रचालनों में प्रणालीगत कार्यों में वृद्धि करना। वाटर फ्रंट मॉनीटरिंग एवं मौजूदा जल निकासी प्रणाली की समीक्षा एवं सुधार।
गहरे समुद्री अपतटीय क्षेत्रों सहित नई खोजों और ज्ञान संवर्धन हेतु सीमांत बेसिन और गैर उत्पादन में आक्रामक तरीके से गहन अन्वेषण	सीमांत क्षेत्रों में अन्वेषण।
अन्वेषण के साथ-साथ उत्पादन हेतु विदेशों तक क्षेत्र अधिग्रहण	भारत और विदेशों में प्रमाणित/उत्पादक परिसंपत्तियों वाली कंपनियों या प्रमाणित/उत्पादक परिसंपत्तियों का अधिग्रहण

1.4 अन्वेषण हेतु निष्पादन जवाबदेही व्यवस्थायें

समझौता जापन (एमओयू), केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसईज़) के प्रबंधन और भारत सरकार के बीच एक समझौता करार है। एमओयू प्रणाली का मुख्य उद्देश्य पीएसई के लिए निजी निगम क्षेत्र के रूबरू समतल कार्यक्षेत्र अर्थात् सुनिश्चित करना है। सीपीएसई प्रबंधन को निष्पादन करार वचन के माध्यम से सरकार के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। सरकार वर्ष के दौरान और उसकी समाप्ति पर निष्पादन मूल्यांकन के माध्यम से और

एमओयू लक्ष्य निर्धारित करने में लगातार नियंत्रण करती है। एमओयूज़ के लिए निष्पादन लक्ष्य पाँच बिन्दु पैमाने पर निर्धारित किए जाते हैं (अर्थात् उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, स्पष्ट और घटिया)।

एमओयूज़ निष्पादन का मूल्यांकन वित्तीय और गैर-वित्तीय मापदण्डों में प्रत्येक को 50 प्रतिशत महत्व देते हुए विभाजित किया जाता है। वित्तीय मापदण्ड लाभ, आकार और उत्पादकता से संबंधित हैं। गैर-वित्तीय मापदण्ड गत्यात्मकता, उपक्रम-विशेष (अर्थात् सुरक्षा एवं प्रदूषण) और क्षेत्र-विशेष (अर्थात् माँग और आपूर्ति में परिवर्तन, मूल्य अस्थिरता, ब्याज दरों में अंतर आदि) मापदण्डों में विभाजित किया जाता है। तत्पश्चात् सीएसआर, आरएण्डडी और सतत विकास को प्रत्येक को 5 प्रतिशत महत्व देते हुए गैर वित्तीय मापदण्डों में विभाजित किया गया था। व्यक्तिगत गैर-वित्तीय मापदण्ड का विकल्प सीपीएसई, प्रशासनिक मंत्रालय और सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) के संयुक्त विवेक पर निर्भर करता है।

एमओयू का मूल्यांकन एमओयू लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक उपलब्धि के आधार पर एक कार्यबल के माध्यम से एमओपीएनजी और डीपीई द्वारा वर्ष के अंत में किया जाता है। पूरे एमओयू का समेकित अंक सभी मापदण्डों का महत्व जोड़ते हुए निकाला जाता है।

अन्वेषण गतिविधियों (भूकम्पीय सर्वेक्षण और खुदाई), निकासीयोग्य रिजर्व के संचयन, कच्चे पदार्थों के उत्पादन, प्राप्य लागत, कच्चे पदार्थ के उत्पादन की लागत को दिए गए महत्व का वर्षवार विवरण तालिका 1.3 में दिया गया है:

तालिका 1.3 - अन्वेषण गतिविधियों के लिए एमओयू में दिए गए महत्व


विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
भूकम्पीय सर्वेक्षण (2डी एवं 3डी)	1	2	0	0	0
एनईएलपी में ड्रिलिंग किए जाने वाले कुएँ	1	1	2	0	0
वसूली योग्य रिजर्व के लिए अभिवृद्धि	8	8	7	4	5
निष्कर्ष लागत	5	4	1	1	2
कच्चे तेल के उत्पादन की लागत	5	4	1	2	2

2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान ओआईएल के निष्पादन के आधार पर डीपीई ने ओआईएल को पाँच वर्षों में से चार में “उत्कृष्ट” और 2010-11 में “बहुत अच्छा” ग्रेड प्रदान किया।

1.5 ओआईएल में संगठनात्मक व्यवस्थायें

ओआईएल का प्रबंधन, निदेशक मंडल के पास होता है जिसमें दो सरकारी नामित निदेशक और पाँच स्वतंत्र निदेशक सहित 12 निदेशक होते हैं। अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (सीएमडी) कंपनी का मुख्य कार्यकारी होता है जो निदेशक (अन्वेषण एवं विकास), निदेशक (मानव संसाधन एवं व्यापार विकास), निदेशक (प्रचालन), निदेशक (वित्त) और निगम कार्यालय के कंपनी सचिव, दुलियाजन, असम के पंजीकृत कार्यालयों के आवासीय मुख्य कार्यकारी (आरसीई) और परियोजना कार्यालयों के समूह महाप्रबंधकों की सहायता से ओआईएल के दैनिक मामलों की देखभाल करता है। निदेशक (अन्वेषण और विकास) की निगम कार्यालय स्तर पर महाप्रबंधकों और क्षेत्रीय स्तर पर महाप्रबंधकों द्वारा सहायता की जाती है और वह तेल एवं गैस अन्वेषण गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है। अन्वेषण गतिविधियों से संबंधित ओआईएल का संगठनात्मक चार्ट चित्र 1.3 में दिया गया है:

चित्र 1.3 - ओआईएल की अन्वेषण गतिविधियों का संगठनात्मक चार्ट




बोर्ड ने ₹ 120 करोड़ तक की सभी खरीद और संविदाओं (सेवा संविदाओं, कंसल्टेंसी और टर्नकी संविदाओं (सहित) के अनुमोदन हेतु सभी कार्यकारी निदेशकों के साथ निगम कारोबार समिति (सीबीसी) का गठन किया (अगस्त 1993)। सीबीसी क्षमता के बाहर की खरीद और संविदाओं की मंजूरी की शक्ति निदेशक मंडल के पास होती है।

1.6 भारत एवं विदेशों में ओआईएल के अन्वेषण ब्लॉक

31 मार्च 2014 तक भारत में ओआईएल के अन्वेषण ब्लॉक चित्र 1.4 में दर्शाए गए हैं:

चित्र 1.4 - ओआईएल के घरेलू ब्लॉक



देश में ओआईएल की गतिविधियाँ असम, अरुणांचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पुतुच्चेरी, तमिलनाडु, अंडमान, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और गुजरात राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हैं। नामांकन के अंतर्गत ओआईएल का कुल प्रचालन क्षेत्र 6234 वर्ग किमी और एनईएलपी के अंतर्गत 18463 वर्ग किमी है।

ओआईएल वर्तमान में नामांकन व्यवस्था⁶ के तहत आवंटित 5 नामांकित पीईएल क्षेत्रों और 22 नामांकित पीएमएल में प्रचालन कर रही है। ओआईएल के पास एनईएलपी IX राउंड की समाप्ति तक प्रचालक एवं गैर-प्रचालक दोनों रूप में कुल 30 एनईएलपी ब्लॉकों में भागीदारी हित (पीआई) है। ये ब्लॉक दस⁷ तलछट बेसिन में स्थित हैं। ओआईएल के पास 15 ब्लॉकों में गैर-प्रचालक के रूप में पीआईज़, 2 जेवीसी और 1 सीबीएम ब्लॉक हैं।


⁶ 1997 में नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति आने से पूर्व राष्ट्रीय तेल कंपनियाँ (एनओसी) अर्थात् ओएनजीसी और ओआईएल को नामांकन आधार पर अन्वेषण हेतु ब्लॉक दिए गए थे और इसे ‘‘नामांकन ब्लॉक’’ के रूप में जाना जाता है।

⁷ असम, असम-अरकान, राजस्थान, कृष्णा-गोदावरी, कावेरी, अंडमान, मुंबई, महानदी (गैर-प्रचालक), प. बंगाल (गैर-प्रचालक) और गुजरात - कुछ (गैर-प्रचालक)

ओआईएल 11 ब्लॉकों वाले छ: बेसिन में प्रचालक और 1 ब्लॉक वाले एक बेसिन में संयुक्त प्रचालक है। इनमें से 9 ब्लॉक चार बेसिन में हैं अर्थात् असम, असम-अरकन, कृष्णा-गोदावरी और राजस्थान। शेष 3 ब्लॉक कावेरी, मुंबई और अण्डमान बेसिन में हैं जो अभी प्रचालन के शुरूआती चरण में हैं जहां जून 2010 अगस्त 2012 के बीच एनईएलपी राउंड-VIII से IX में ब्लॉक दिए गए थे।

31 मार्च 2014 तक विदेशों में ओआईएल के अन्वेषण ब्लॉक चित्र 1.5 में दर्शाए गए हैं:

चित्र 1.5 ओआईएल के विदेशी ब्लॉक



ओआईएल की विदेशी ईएण्डपी गतिविधियों में 13 ब्लॉक शामिल हैं और लीबिया, गैबन, नाइजीरिया, यमन, म्यामार, बांग्लादेश, वेनेजुएला, यूएसए, मोजाम्बिक और रूस सहित 10 देशों में फैले हैं। ओआईएल के विदेशी प्रचालन के तहत कुल क्षेत्र 74721 वर्ग किमी है।

1.6.1 नामांकन ब्लॉक

मार्च 2014 को समाप्त पिछले पाँच वर्षों के लिए धारित क्षेत्रों के साथ ओआईएल के नामांकन ब्लॉकों का वर्षवार विवरण तालिका 1.4 में दी गई है:

तालिका 1.4 नामांकन ब्लॉकों की वर्षवार स्थिति

वर्ष	पीईएल ब्लॉकों की वर्षवार स्थिति	क्षेत्रफल (वर्ग. किमी.)	एमएल ब्लॉकों की वर्षवार स्थिति	क्षेत्रफल (वर्ग. किमी.)
2009-10	16	5367.750	19	4811.006
2010-11	7	1760.500	21	5028.500
2011-12	8	1783.750	20	4916.010
2012-13	8	1894.000	21	5095.000
2013-14	5	1230.000	22	5004.000

स्रोत: ओआईएल की वार्षिक योजना

1.6.2 एनईएलपी ब्लॉक

मार्च 2014 को समाप्त पिछले पाँच वर्ष के लिए धारित क्षेत्रफल के साथ-साथ ओआईएल के एनईएलपी ब्लॉकों का वर्षवार विवरण तालिका 1.5 में दिया गया है:

तालिका 1.5 - एनईएलपी ब्लॉकों की वर्षवार स्थिति

विवरण	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
	सं.	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)								
तटीय	10	11802	10	10987	10	10621	10	9513	9	9439
अपतटीय - छिला पानी	0	0	1	1621	1	1621	2	5032	2	5032
अपतटीय-गहरा पानी ⁸	0	0	1	3992	1	4040	1	3992	1	3992
कुल	10	11802	12	16600	12	16282	13	18537	12	18463

स्रोत: ओआईएल की वार्षिक योजना

1.7 ओआईएल की अन्वेषण गतिविधियों हेतु वित्तीय मानदण्ड

31 मार्च 2014 के समाप्त पिछले पाँच वर्षों के दौरान ओआईएल की वर्षवार वित्तीय स्थिति तालिका 1.6 में दी गई है:

⁸ संयुक्त रूप से प्रचालित ब्लॉक

तालिका 1.6 - ओआईएल की वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएँ	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	परिसंपत्ति याँ	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
दल्तमत पूँजी	240.45	240.45	240.45	601.14	601.14	शुद्ध अचल परिसंपत्ति याँ	4018.90	4248.29	4493.53	4994.87	5478.73
आरक्षित एवं अधिशेष	13523.34	15361.42	17480.89	18610.34	20107.04	सीडब्ल्यू आईपी	927.11	1324.05	1131.50	1769.01	2077.16
उधारियाँ	37.50	1026.79	10.13	1057.81	9782.69	निवेश	859.44	890.41	783.09	857.90	11256.61
अन्य दीर्घावधि देयताएँ	1022.79	1313.53	1480.49	1666.76	2069.32	अन्य गैर चालू परिसंपत्ति याँ	--	--	324.65	630.77	620.11
बकाया ट्रेड एवं अन्य चालू देयताएँ	3269.29	3321.61	3469.31	3244.80	2314.26	वर्तमान परिसंपत्ति याँ ऋण एवं अग्रिम	12287.92	14801.05	15948.50	16928.30	15441.84
कुल	18093.37	21263.80	22681.27	25180.85	34874.45	कुल	18093.37	21263.80	22681.27	25180.85	34874.45

मार्च 2014 को समाप्त पिछले पाँच वर्षों के दौरान ओआईएल का वर्षवार बजटीय प्राक्कलन संशोधित प्राक्कलन और वास्तविक व्यय अनुबंध I में दिया गया है।